न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास—रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 47/14

वादीगण

1. श्रीमती विमला पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी रामनिवास जाट निवासी इनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर
2. श्रीमती परमा पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी मनसुखराम जाट निवासी इनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर
3. श्रीमती गणपति पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी रामनिवास जाट निवासी इनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर।

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति चिंकू पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी हजारीराम जाट निवासी इनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर।
2. तहसीलदार मूण्डवा।

वकील वादीगण

1. श्री अशोक कुमार वैष्णव,
2. श्री प्रेमराज गेहलोत
3. श्री श्रीकान्त व्यास

वकील प्रतिवादीगण

1. श्री भंवरलाल चौधरी

निर्णय दिनांक :— 13.08.2020

वादीगण की ओर से निम्न वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

1. यह हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व. भंवरलाल जी की संतान हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी का पुश्तैनी खेत ख. नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा मौजा ईनाणा तह0 मूण्डवा स्थित हैं। नकल खतौनी साथ पेश हैं।
2. यह हैं कि वादीणग व प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. भंवरलाल का स्वर्गवास लगभग 15 माह पूर्व हो गया था व स्व. भंवरलाल के कोई जायदा पुत्र नहीं होने के कारण जायंदा पुत्रिया वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम नामान्तकरण सं. 2759 दिनांक 10/6/14 को स्वीकृत हुआ जिसमें उपरोक्त वादग्रस्त खेत ख.नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा निहित करता हैं एवं इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त वादग्रस्त खेत में कब्जा काश्त स्थित हैं।
3. यह हैं कि वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त खेत ख.नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा का 1/4—1/4 हिस्से के आधार पर बंटवाड़ा करवाना चाहती हैं लेकिन प्रतिवादी सं. 1 अपने काका रामनिवास व काका का लड़का सुभाष व अपने पति हजारीराम के प्रभाव में आकर बंटवाड़ा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया एवं उपरोक्त लोगों के बहकावें

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

में आकर उपरोक्त वादग्रस्त खेत ख. नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण को हड़पने की नियत से सम्पूर्ण खेत पर कब्जा करने का लालच मन में आ गया हैं व उपरोक्त वादग्रस्त खेत को लाठी के जोर पर बदयांतिपूर्वक ढंग से लागों के बहकावें में आकर उक्त खेत में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा होने के उपरान्त भी वादीगण 3/4 हिस्से पर ज़बरन कब्जा करने व आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त खेत ख.नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा मौजा इनाणा के 1/4–1/4 हिस्सा जो प्रत्येक चारों बहनों का कानूनन बराबर बनता हैं बंटवाड़ा करने से इंकार कर दिया एवं वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त खेत ख.नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में 1/4 हिस्सा निहित होने के उपरांत सम्पूर्ण खेत पर कब्जा कर काश्त करने व आगे अन्य व्यक्ति को बेचान करने का कहा। इस कारण वादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त खेताय पर निहित प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से का बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

4. यह हैं कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त खेत खसरा नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 1 अन्य व्यक्तियों के प्रभाव व सिखावें में आकर वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त खेत में से बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने पति व काका रामनिवास व काका का लड़का सुभाष व अन्य व्यक्तियों से मिलकर वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त खेत में से बेदखल करने की पंचायती की गई एवं बेदखल बाबत प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में कई लोगों द्वारा बेदखल करने का इकरारनामा भी किया गया एवं वादीगण को बेदखल करने की प्रतिवादी सं. 1 द्वारा धमकियां देने से वादीगण के कब्जे काश्त, खातेदारी व पुश्तैनी खेत पर अपने हक हकूकों पर भारी कुठाराघात होने की आशंका हैं। इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं।
5. यह हैं कि बिनाय वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त खेत ख. नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा इनाणा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त खेत का बंटवाड़ा प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से के अनुसार करवाने का कथन किया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 नं बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया व साथ ही उपरोक्त वादग्रस्त खेत में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा निहित होने के उपरांत भी सम्पूर्ण खेत पर कब्जा व काश्त करने पर आमादा होने व बाद काश्त अन्य किसी वक्ति को बचान करने की धमकी वादीगण को देने व वादीगण को उक्त वादग्रस्त खेत से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण समय समय पर बमुकाम इनाणा तहसील मूण्डवा उत्पन्न हुवा।
6. यह हैं कि वादग्रस्त खेताय ग्राम इनाणा तह0 मूण्डवा जिला नागौर स्थित हैं इसलिए वाद न्यायायलय हाजा के क्षेत्राधिकार का हक हैं।
7. यह हैं कि कोर्ट फीस वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1/– रू. प्रति की दर से कुल 4/– रू. के कोर्ट फीस स्टाम्प पेश हैं।
8. यह हैं कि प्रतिवादी सं. 2 भूमिधारी होने एवं बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं।
9. यह हैं कि ईस्तदुआ वादीगण इस प्रकार हैं कि इस वाद की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमावें :–

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

(क) यह हैं कि वादीगण के बंट कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत ख. नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के बंट में खातेदारी घोषित की जावें व साथ ही उपरोक्त बादग्रस्त खेत ख. नं. 1115 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से दीगर प्रतिवादीगण सं. 1 को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

(ख) यह हैं कि माफिक बंटवाड़ा एवं घोषणा राजस्व रेकर्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

(ग) यह हैं कि अन्य ईस्तदुआ जो भी लाभार्थ वादीगण हो दिलाई जावें।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी ने वकालतनामा एवं जबाब मय काउण्टर क्लेम एवं फार्म सं.3 दस्तावेज मय सूची के पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन बाद तालिम प्राप्त हुआ जो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 15.11.2019 को पीठासीन अधिकारी की गैर मौजूदगी में राजीनामा पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। पीठासीन अधिकारी हाजिर नहीं होने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया जा सका।

दिनांक 13.08.2020 को वकील वादी, व वकील प्रतिवादी तथा वादीगण एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा पर अपने हस्ताक्षरत एवं राजीनामा सही होना स्वीकार किया।

बहस वकुलाय को सुना एवं पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस पर मनन कर वादीगण का वाद माफीक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

(क) वादी 1. श्रीमति विमला पुत्री भंवरलाल पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी असावरी के बंट व कब्जा काश्त में मौजा ईनाणा के ख.नं. 1115 रकबा 18.15 बीघा में से 1/5 हिस्सा, रकबा 3बीघा 15 बिस्वा पश्चिमी तरफ का घोषित किया जाता है।

(ख) वादी 3. श्रीमति गिणपति पुत्री भंवरलाल पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी कड़लू के बंट व कब्जा काश्त में मौजा ईनाणा के ख.नं. 1115 रकबा 18.15 बीघा में से 1/5 हिस्सा, रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वादी सं. 1 के पूर्वी तरफ चिपते हुए हिस्से नक्शे के अनुसार का घोषित किया जाता है।

(ग) वादी 2. श्रीमति परमा पुत्री भंवरलाल पत्नि मनसुखराम जाति जाट निवासी सिणोद के बंट व कब्जा काश्त में मौजा ईनाणा के ख.नं. 1115 रकबा 18.15 बीघा में से 1/5 हिस्सा, रकबा 3बीघा 15 बिस्वा वादी संख्या 3 के चिपते पूर्वी तरफ का हिस्सा नक्शे के अनुसार घोषित किया जाता है।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती चीकू पुत्री भंवरलाल पत्नि श्री हजारीराम जाति जाट निवासी डेह रोड़ नागौर के बंट व कब्जा काश्त में मौजा ईनाणा के ख.नं. 1115 रकबा

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

18.15 बीघा में से 2/5 हिस्सा, रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा माफिक राजीनामा व नक्शे अनुसार घोषित किया जाता है।

निर्णय दिनांक **13.08.2020** को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। राजीनामा संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न हिस्सा होगा। निमयानुसार स्टाम्प ड्युटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर